



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-10052024-254157
CG-UP-E-10052024-254157

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1882]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2024/वैशाख 20, 1946

No. 1882]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2024/VAISAKHA 20, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 2 मई, 2024

का. आ. 1975(अ).—केन्द्र सरकार, रेल अधिनियम, (1989 का 24) तथा रेलवे (संशोधन) अधिनियम (2008 का 11) (जो यहाँ उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित है) की धारा 2 के खंड 7 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी स्तंभ (3) में उल्लिखित जिलों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य में “धौलपुर-सिरमुत्तरा आमान परिवर्तन” को विशेष परियोजना के बाबत ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम आदि के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्यों का निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर	धौलपुर

[फा.सं. एन.सी.आर.-एच.क्यू.शून्य.सी.ई.एन.जी.(जेन)/6/2023-ओ./ओ.सी.ई./कांस्ट/नार्थ/एच.क्यू./ एन.सी.आर (कम्प्यूटर सं. 83817)]

मंजुल माथुर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Central Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Prayagraj, the 2nd May, 2024

S.O 1975(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and Railway Amendment Act 2008 (11 of 2008) (herein referred to as the said Act), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the table as competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project for the **“Dholpur – Sirmuttra Gauge Conversion”** in the state of Uttar Pradesh relating to districts mentioned in column (3) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Projects.

S. No.	Competent Authority	District
(1)	(2)	(3)
1.	Sub Divisional Officer, Dholpur	Dholpur

[F. No. NCR-HQ0CENG(GEN)/6/2023-O/o CE/CONST/NORTH/HQ/NCR (Computer No.83817)]

MANJUL MATHUR, Chief Administrative Officer (Construction)